न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 111/2016 (225 आरटीए)

प्रेमसिंह के कायम मुकाम बालु कंवर वगै. बनाम छोटू सिंह

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2016/00085)

1 प्रेमसिंह के कायम मुकाम

1/1 बालु कंवर पत्नी स्व. श्री प्रेमसिंह,

1/2 शक्तिमान सिंह पुत्र स्व. श्री प्रेमसिंह,

1/3 सायर कवंर पुत्री स्व. श्री प्रेमसिंह,

1/4 समुकंवर पुत्री स्व. श्री प्रेमसिंह,

1/5 किरण कंवर पुत्री स्व. श्री प्रेमसिंह

सभी जाति राजपूत, निवासी ग्राम आउ, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

2 मालादेवी पत्नी रेवन्तराम वल्द सिमरथराम,

3 जड़ाव कंवर पत्नी रूपाराम वल्द सिंमरथराम,

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम आऊ, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

छोटू सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम आऊ तहसील फलोदी, जिला जोधपुर

..... रेस्सपोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 24.08.2016 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 121/2011

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बूब।

2 रेस्पो. की ओर से अधिवक्ता श्री गिरधारसिंह भाटी।

निर्णय

दिनांक : 30.04.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी फलोदी के राजस्व वाद सं. 121/2011 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.08.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

30/4
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिकारी फलोदी के समक्ष धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलांट की ओर से राजस्व वाद सं. 121/2011 पेश कर अभिवचन किया था कि ग्राम आऊ के खसरा नंबर 1153 की भूमि में बंटवाड़े के अनुसार वादी संख्या 1 के बंट में 127 बीघा 11 बिस्वा भूमि आई हुई थी जिसके वर्तमान खसरा नं. 1153/3 हैं। वादी संख्या 1 ने अपनी उपरोक्त भूमि में से 20 बीघा भूमि वादी संख्या 2 को एवं 10 बीघा भूमि वादी संख्या 3 को बेचान की है, जिसके खसरा नं. क्रमशः 1153/6 एवं 1153/5 हैं। वादी संख्या 1 के कब्जे एवं काश्त में 97 बीघा 11 बिस्वा भूमि शेष रहती है जिस पर वादी संख्या 1 बहैसियत खातेदार काबिज है। इस भूमि में प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा दखल किया जा रहा है इस कारण से उसके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करके स्थाई निषेधाज्ञा चाही थी। साथ ही अपीलांट्स/वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि को नक्शे में तरमीम करवाने बाबत इस्तदुआ चाही थी वाद प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय में प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा जवाब नहीं प्रस्तुत किया गया था एवं एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 9 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी द्वारा अभिवचित किया गया कि उक्त प्रकरण में वादीगण/अपीलांट्स ने खसरा नं. 1153 के अन्य बटा नंबर के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस कारण से अपीलांट्स/वादीगण का वाद कुसंयोजन से चलने काबिल नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र पर दिनांक 24.08.2016 को आदेश पारित करते हुए अपीलांट के विरुद्ध रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकारते हुए वादीगण का वाद आदेश 1 नियम 9 सी.पी.सी. के तहत असंयोजन का मानते हुए खारिज करने का आदेश पारित कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.08.2016 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बूब ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश 1 नियम 9 में कानूनी प्रावधान है कि कोई भी वाद पक्षकारान के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण विफल नहीं होगा और न्यायालय हर वाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहां तक कर सकेगा जहां तक उने पक्षकारों के जो उसके वस्तुतः समक्ष हैं अधिकारों और हितों का संबंध है।

30/4
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के वाद में अपीलांट्स/वादीगण द्वारा रेस्पोडेंट/प्रतिवादी के विरुद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया थ। जिसमें राज्य सरकार किसी भी रूप से आवश्यक पक्षकार नहीं थी ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 188 का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलांट्स/वादीगण के वाद को नियमानुसार निर्णय करने में किसी कानूनी प्रावधान की बाधा नहीं थी और न ही अन्य पक्षकार की आवश्यकता थी अतः अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को खारिज करने में कानूनी गलती की है। इसी प्रकार धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने में भी राजस्थान राज्य आवश्यक पक्षकार नहीं था एवं आवश्यक पक्षकार नहीं होने की वजह से ऐसे प्रार्थना पत्र का निपटारा राज्य सरकार की अनुपस्थिति में किया जा सकता था। इन दोनों ही परिस्थितियों में किसी भी रूप में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद की विषय वस्तु का निपटारा किए जाने हेतु किसी प्रकार की कोई रोक नहीं थी और न ही कोई कानूनी प्रावधान बाधक था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी प्रावधानों का सही विश्लेषण नहीं किया है। जिस नजीर का हवाला देकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट वादीगण के वाद को खारिज किया है, वह नजीर किसी भी रूप में इस वाद में लागू नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने नजीर की व्याख्या किए बिना ही अपीलांट के वाद को खारिज कर दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई कर निस्तारण हेतु भेजा जावे। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में 2007 (2) सीसीसी 237 (एस.सी), 1997 (1) सीसीसी 401 (केरला), 2003 (1) सीसीसी 28 (एचपी), 1995 (1) सीसीसी 270 (कर्नाटका), 2002 (1) सीसीसी (उड़ीसा), 1999 (सप्लीमेंट) सीसीसी 518 (मुबंई) नजीरें प्रस्तुत की।

5 रेस्पो. की ओर से अधिवक्ता श्री गिरधारसिंह भाटी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1153 के अन्य बटा नंबर के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिए अपीलांट का वाद कुसंयोजन से चलने के काबिल नहीं होने से अपीलांट के विरुद्ध रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम के तहत अपील प्रस्तुत की है। जबकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील अंतर्गत धारा

3/01/7
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत होती है। अतः अपीलांट की अपील 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 1994 पेज 168, आर.आर.डी. 1994 पेज 616, आर.आर.डी. 1990 पेज 389 नजीरें पेश की।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 इस प्रकरण में रेस्पों. के अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पोषणीय नहीं हैं। अतः इस प्रकरण में पोषणीयता के बिंदु को सर्वप्रथम निर्णित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.08.2016 के विरुद्ध अपील इस न्यायालय में पेश की है। पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में निर्णय के साथ–साथ डिक्री पर्चा भी पृथक से जारी किया गया है। अपीलांट ने भी निर्णय के साथ डिक्री पर्चा भी अपील में पेश किया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि सहायक कलेक्टर द्वारा डिक्री जारी की गई है तो उसकी अपील धारा 223 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में होगी। धारा 225 में केवल आदेशों की अपील ही होती है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपील धारा 225 में इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। जब अपील पोषणीय नहीं हैं तो अन्य बिंदुओं पर निर्णय दिया जाना न्यायसंगत नहीं हैं अतः अपील पोषणीयता के बिंदु पर खारिज योग्य पाई जाती है।

9 अतः अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है।

30/4/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/4/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर